तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
22.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजपूत, निवासी– सेन्टपॉल स्कूल, रघुकुल होस्टल के पास, सिरोही, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा, H-65 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 09.11.2023 को फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा, H-65 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजपूत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध, चीनी से बना) का नमूना संख्या S-2257 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./3032/Act/2023/3074 दिनांक 23.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादी वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजपूत को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 09.11.2023 को समय 10.30 ए.एम. पर फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा, एच–65, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व मावा से निर्मित) लगभग 10–12 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व मावा से निर्मित) का जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता को गवाह श्री श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए मिल्क केक (दूध व मावा से निर्मित) में से 2 किलोग्राम को साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये एवं खदीदशुदा मिल्क केक (दूध व मावा से निर्मित) को चार साफ व खाली सुखी शीशीयों में अलग अलग बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 40–40 बूंदे फार्मेलीन मिलाकर इन चारों शीशीयों को ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:16 IST
Reason: SelfAttested

पीठा. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2257, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध, चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता वाकसिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता वाकसिंह एवं गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.11.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 09.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजपूत से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व मावा से निर्मित) के नमूना संख्या S-2257 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./3032/Act/2023/3074 दिनांक 23.11.2023 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक मिल्क (दूध, चीनी से निर्मित) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध [illegible] विक्रय करके खाद्य सुरक्षा ....लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:16 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी वाकसिंह, अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध, चीनी से निर्मित) के विक्रय हेतु प्रतिवादी वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजपूत, निवासी– सेन्टपॉल स्कूल, रघुकुल होस्टल के पास, सिरोही, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा, H-65 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी वाकसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजपूत, निवासी– सेन्टपॉल स्कूल, रघुकुल होस्टल के पास, सिरोही, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जय महादेव मिल्क केक मावा, H-65 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 27.9.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:16 IST
Reason: SelfAttested